बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 03/भू0अ0नि0(3)विविध(वि0सर्वे0अमीन)–आरोप–26/2022 653 पटना, दिनांक 05/02/2024

आदेश

अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, नालंदा के पत्रांक 136 दिनांक 28.05.2023 द्वारा श्री कन्हाई कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN02925) के विरूद्ध प्रतिवेदित किया गया है कि इनको आवंटित राजस्व ग्राम–सिनावां–144 के प्रपत्र–6 में सभी रैयतों का रकवा गलत इंट्री किया गया है, जिसके कारण एल0पी0एम0 वितरण होते ही वहाँ के लोगों द्वारा शिविर कार्यालय आकर हंगामा किया एवं कुछ रैयतों द्वारा इनपर सर्वे में अवैध राशि की वसूली करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही उक्त आरोपों की जांच सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी–सह–नोडल पदाधिकारी से कराते हुए श्री कुमार को गलत मंशा के कारण जानबूझ कर रकवा की गलत इंट्री करने एवं रैयतों से अवैध राशि की वसूली करने का दोषी मानकर संविदा समाप्ति की अनुशंसा की गयी है।

प्राप्त अनुशंसा के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक 4770 दिनांक 08.06.2023 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। इनके द्वारा अपना स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि में समर्पित किया गया है। स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि इनपर लगाए गए सारे आरोप तकनीकी खामी, राजनीतिक एवं शिविर प्रभारी द्वारा मानसिक रूप से प्रतारित कर गलत काम करने से प्रेरित है। साथ ही अंकित किया गया है कि शिविर प्रभारी एवं कानूनगो द्वारा अवैध वसूली करके लाने को कहा जाता है, जिसका विरोध करने पर आरोप लगाया गया है। साथ–ही–साथ यह भी अंकित किया गया है कि ग्राम सरपंच द्वारा इनके उपर लगाए गए आरोप को निराधार मानते हुए 80 रैयतों का हस्ताक्षर दिया गया है एवं वरीय पदाधिकारियों से जांच कराने का अनुरोध किया गया है।

श्री कुमार द्वारा स्पष्टीकरण में दिए गए तथ्यों की जांच कर प्रतिवेदन/मंतव्य की मांग निदेशालय पत्रांक 5496 दिनांक 07.07.2023 एवं स्मार पत्रांक 9011 दिनांक 28.11.2023 द्वारा बंदोबस्त पदाधिकारी, नालंदा से की गयी है। बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 332 दिनांक 22.12.2023 द्वारा प्रतिवेदन भेजा गया है। बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा अपने प्रतिवेदन में श्री कुमार को रैयतों से अवैध राशि वसूली करने एवं गलत मंशा के कारण जानबुझ कर प्रपत्र–6 में गलत रकबा का इंद्राज करने तथा भू–सर्वेक्षण कार्य को प्रभावित करने के प्रयास के लिए दोषी माना गया है।

प्रभारी पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं बंदोबस्त पदाधिकारी का मंतव्य तथा श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी है। समीक्षोपरांत पाता हूँ कि शिविर प्रभारी एवं कानूनगो द्वारा इन्हें अवैध राशि की वसूली करके लाने को कहा जाता था, परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस संबंध में इनके द्वारा वरीय पदाधिकारी को अवगत क्यों नहीं कराया गया है ? जहाँ तक इनपर लगे आरोपों की जांच वरीय पदाधिकारी से कराने का प्रश्न है, तो इनपर लगे आरोपों की जांच सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के स्तर से की गयी है एवं इन्हें उपरोक्त आरोपों का दोषी माना गया है। साथ ही बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा इनके स्पष्टीकरण में वर्णित तथ्यों की जांच कर मंतव्य दिया गया है एवं इन्हें दोषी माना गया है। इससे स्पष्ट है कि इनके द्वारा आरोप से बचने के लिए आरोप–प्रत्यारोप लगाया जा रहा है।

विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध एवं आमजनों के बीच एवं इनके सहयोग से किया जाने वाला कार्य है। श्री कुमार के कृत्य से आमजनों में सर्वे के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न न हो एवं इसका प्रभाव अन्य सर्वेक्षण कर्मियों पर न पड़ें इसके दृष्टिगत इन्हें संविदा में बनाए नहीं रखा जा सकता है।

अतः उपरोक्त के आलोक में **"बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम – 8(4)"** में वर्णित प्रावधान के आलोक में श्री कन्हाई कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN02925) का संविदा नियोजन समाप्त किया जाता है।

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(3)विविध(वि0सर्वे0अमीन)–आरोप–26/2022 653 **पटना, दिनांक** :– 05/02/2024

प्रतिलिपि :– श्री कन्हाई कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN02925), बंदोबस्त कार्यालय, नालंदा को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(3)विविध(वि0सर्वे0अमीन)–आरोप–26/2022 653 **पटना, दिनांक** :– 05/02/2024

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(3)विविध(वि0सर्वे0अमीन)–आरोप–26/2022 653 **पटना, दिनांक** :– 05/02/2024

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप को विभागीय वेबसाईट एवं इसकी स्कैन कॉपी निदेशालय अन्तर्गत R2R सॉफ्टवेयर में संधारित श्री कुमार की व्यक्तिगत संचिका में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
2/2/24